भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3954
दिनांक 24 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

मिनी आंगनवाडी केन्द्र

3954. श्रीमती संध्या राय:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में बिहार, हरियाणा के सोनीपत जिले और मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिले में कितने मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और उनमें कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं,
(ख) क्या सरकार को उक्त राज्यों से ऐसे और आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा कितनी निधि खर्च की गई है और निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण में हुई अनियमितताओं का संज्ञान लिया है और इनके कार्यकरण और धनराशि के उपयोग का कोई निरीक्षण किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : बिहार राज्य द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार बिहार राज्य में 7115 लघु-आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) कार्यरत हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार भिंड जिले में 369 लघु आंगनबाड़ी केंद्र और दतिया जिले में 150 लघु आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। हरियाणा राज्य द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार सोनीपत जिले में 2 लघु आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। राज्य ने सूचित किया है कि दोनों लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय, पीने का पानी, बच्चों के लिए झूले, स्कूल पूर्व शिक्षा के अलावा लाभार्थियों के लिए पूरक पोषाहार, टेबल-कुर्सी और बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की सुविधा है। राज्य ने आगे सूचित किया है कि मिनी-आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा सचालित किये जाते हैं और वे बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन तैयार करते हैं।

इसके अलावा आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से, 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनवाड़ी केंद्र/लघु -आंगनवाड़ी केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

I. पूरक पोषण;
II. स्कूल पूर्व अनोपचारिक शिक्षा;
III. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा;
IV. टीकाकरण;
V. स्वास्थ्य जांच; और
VI. रेफरल सेवाएं

तीन सेवाओं अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(ख) : हाल के दिनों में बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार से लघु आंगनवाडी केंद्र खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) दोनों की समान प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जो कि एक कार्यकर्त्री के साथ संभव नहीं है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लघु -आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 7453 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया गया है।

(ग) : आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों को जारी की गई धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है:

(रूपये लाख में)

क्रं सं.	वित्त वर्ष	जारी की गयी निधि		
		बिहार	हरियाणा	मध्य प्रदेश
1.	2019-20	127888.67	18029.66	121491.90
2.	2020-21	127059.58	18113.67	122037.59
3.	2021-22	157443.07	17303.35	108546.91

बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निजी कंपनियों द्वारा कोई आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं चलाया जा रहा है।

(घ) : सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है और स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासन, प्रबंधन और निगरानी संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। स्कीम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के संबंध में यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पास भेजा जाता है। गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से रिपोर्ट मांगी जाती है। किसी कर्मचारी के कदाचार या किसी भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनके सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

******